दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
सोमवार, 7 मार्च, 2005/फाल्गुन, 16,1926 (शक)

संख्या:-81

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात् 4 मार्च 2005 तक विधान सभा सचिवालय को कुल 70 संकल्पों की सूचना प्राप्त हुई। निम्नलिखित 03 संकल्पों को बैलेटिंग के आधार पर चुना गया है। इन संकल्पों को चर्चा के लिए 18 मार्च 2005 को लिया जायेगा :-

क्र.सं.	**सदस्य का नाम**	**संकल्प का पाठ**
I.	श्री ए.दयानन्द चंदीला ए.	यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली के सभी गाँवों को भवन-निर्माण संबंधी नियमों की सीमा से बाहर रखा जाए।
2.	श्री कुलवन्त राणा	यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली के शहरीकृत गाँवों के समग्र एवं अपेक्षित विकास हेतु ग्रामीण विकास बोर्ड की तरह एक शहरीकृत ग्रामीण विकास बोर्ड का गठन किया जाए।
3.	श्री सुरेन्द्र कुमार	यह सदन संकल्प करता है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा विकलांग व्यक्तियों (पुरूषों एवं महिलाओं) को दी जाने वाली एक हजार रूपये की वित्तीय सहायता राशि की अपेक्षा इन व्यक्तियों को नियमित मासिक पेंशन दी जाए क्योंकि मौजूदा व्यवस्था अर्थहीन एवं निष्प्रयोजन है।

सिद्धार्थ राव
सचिव

130

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Monday, 7th March, 20005/Phalguna, 16, 1926 (Saka)

No: 81

Hon'ble Members are hereby informed that notices for Seventy resolutions were received by the Assembly Secretariat till the last date of receipt of Private Members Resolutions i.e. 4th March 2005. The following three resolutions have been selected on the basis of balloting. These would be taken up for discussion on 18th March, 2005:

Sl.No.	Name of Member	Text of the resolution
1.	Shri A. Dayanand Chandelia A	This House resolves that all the villages in Delhi be exempted from the purview of building bye-laws.
2	Shri Kulwant Rana	This House resolves that an Urbanised Villages Development Board be constituted similar to the Rural Villages Development Board for the consolidated and desired development of the urbanized villages in Delhi
3	Shri Surendra Kumar	This House resolves that instead of financial assistance of Rupees One Thousand, being paid to the handicapped persons (men and women) by the Social Welfare Department, these persons should be paid regular monthly pension as the existing system is meaningless and of no use.

SIDDHARTH RAO
SECRETARY

127